

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (नक्शा कैम्प)

पत्रांक : 58/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2013-14 दिनांक 26/07/2013

**अनुमति-पत्र**

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री गिरीश नारायण शुक्ल पुत्र स्व0 जगदीश नारायण शुक्ल द्वारा नजूल भूखण्ड संख्या-W उपविभाजित भूखण्ड संख्या-W/19 सिविल स्टेशन, ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-






1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 01 अद्द वृक्ष लगाने होंगे।
5. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति स्टिल्ट, अपर ग्राउण्ड, प्रथम तल पर व्यवसायिक निर्माण की अनुमति हेतु है। स्थल का उपयोग/अधिभोग तदनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् किया जाय।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु जो भी शुल्क/प्रतिबन्ध आरोपित किये जायेंगे उसका अक्षरशः अनुपालन करना होगा एवं दिये गये शपथ पत्र दिनांक 24.07.2013 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

जायगी  
अनुमति पत्र  
कायदा के अंतर्गत  
जानकारी  
26/7/13

26/07/13

(गुडाकेश शर्मा)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद






SCHEDULE OF DOORS AND WINDOWS

1	DOOR	D2	1025 X 2140
2		D3	750 X 2140
3	WINDOW	W2	1900 X 1650
4	VENT	V	100 X 480

MULTIPLY OF AREA

1	TOTAL PLOT AREA	187.88
2	AREA LEFT FOR RIGHT HANDING	22.88
3	NET AREA OF THE PLOT	165.00
4	COVERED AREA ON G.F. (PARKING)	57.74
5	PROP. CONV. AREA ON UPPER G.F.	57.74
6	PROP. CONV. AREA ON F.F.	57.74
7	MINIMUM AREA	12.32
8	OPEN AREA ON G.F.	107.26

NOTE: THIS IS TO CERTIFY THAT THE MAP IS ACCORDING TO THE B.C. LAWS & NORMS OF H.O.U. 1971 & 1974.



PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON PLOT NO. 47  
CIVIL STATION & SUB DIVISION PLOT NO. 47A CIVIL STATION  
AT MUMBAI THAKURJI MARGI COOPER ROAD CIVIL LINES HLD  
OWNER: SHRI JYOTISH NARAYAN SHUKLA  
SH. LATE RAJENDRA SHUKLA

SIG OF OWNER  
SIGNED: [Signature]  
Dr. R. C. JYOTISH  
DWIVEDI BUILDERS  
4850, LASSLE ROAD  
GEORGETOWN, MUMBAI